श्री जुएल उरांवः सर, मान्यवर सदस्य का यह सजेशन है, यह after and before impact के लिए सजेशन है। हम यह बीच-बीच में करवाते हैं, और एक बार करवा लेंगे। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने impact पर after and before survey के बारे में पूछा है। Before and after impact है, after impact हम लोग कर चुके हैं और अब हम आगे भी इसको करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री तरुण विजयः सभापति महोदय, यह जो प्रश्न किया गया था, यह जनजातीय क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में था। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा कि विशेष रूप से मणिपुर और उत्तराखंड के क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र की महिलाएँ हैं, वहां सरकारी स्कीमों के कारण महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ है। वे जन्मजात महिला सशक्तिकरण के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। उस क्षेत्र में जनजातीय मंत्रालय द्वारा, विशेष रूप से मणिपुर की महिलाएँ, जो वहां का पूरा आर्थिक क्षेत्र सम्भालती हैं, बाजार देखती हैं और वहां की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं।

श्री सभापतिः प्रश्न पूछिए।

श्री तरुण विजयः क्या उनके लिए जनजातीय मंत्रालय ने ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम किया है, जिससे वहां की जो अग्रणी महिलाएँ हैं, उनको ताकत मिले और वे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें? इन क्षेत्रों के लिए कृपया मंत्री महोदय बताएँ।

अर्थ के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा क्या विशेष अभियान और कार्यक्रम किए गए हैं?

श्री जुएल उरांवः सर, जनजातीय मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आठ स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिनके बारे में मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बता दिया है। मैं मान्यवर सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि Educational Incentive in Low Literacy Areas, जहां शैक्षणिक स्तर कम है, उसमें special incentive देकर हम लोग literacy loan देते हैं। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, यह फाइनेंशियल योजना है और जो महिलाएँ काम करने के लिए फाइनेंस माँगती हैं, उनको इसके अंतर्गत 4 परसेंट इंटरेस्ट पर फाइनेंस दिया जाता है। यह फाइनेंस शेड्यूल्ड ट्राइब्स नेशनल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है। हमने Exchange of Visits by Tribals में 50 परसेंट वुमन को स्थान दिया है। Exchange of Visits by Tribals एक स्कीम है, जिसमें जो महिलाएँ आती हैं, उसमें यह 50 परसेंट है। 129 Eklavya Model Residential Schools हैं, उनमें भी हम 50 परसेंट महिलाओं को प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं। हम उन्हें नेशनल फेलोशिप भी देते हैं। उनके लिए वनबंधु कल्याण योजना है और उन्हें हम स्पेशल ग्रांट भी देते हैं। यह मणिपुर और मेघालय जैसे सभी ट्राइबल क्षेत्रों में लागू है, जहां वे इसका बेनिफिट लेते हैं।

*184. [The questioner, SHRI SANJIV KUMAR, was absent.]

Making Section 498A of IPC a compoundable offence

*184. SHRI SANJIV KUMAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that every year out of 90,000 to one lakh cases of complaints of dowry, more than 10,000 are found to be false;

(b) if so, whether the figure makes it one of the most abused laws in the country; and

(c) whether Government is now working on a proposal to make Section 498A of the IPC a compoundable offence and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) and (b) As per data provided by the National Crime Records Bureau (NCRB), a total number of 99,135, 1,06,527 and 1,18,866 cases were registered in the years 2011, 2012 and 2013 respectively under Section 498A of the Indian Penal Code for cruelty by husband or his relatives. After police investigation, 10,193 in 2011, 10,235 in 2012 and 10,864 cases in 2013 were found to be false or suffering from mistake of fact or law. There is no direct evidence or study available to suggest that this is one of the most abused laws in the country.

(c) The Law Commission of India in its 237th report and 243rd Report recommended that Section 498A should be made compoundable with the permission of the courts. The Government has accepted these recommendations.

MR. CHAIRMAN: The questioner is not present. Let the answer be given.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह जानकारी दी है कि वर्ष 2011 में 99,135 केसेज़ थे, जिनमें से 10,193 केसेज़ फॉल्स थे, जिनकी गलत इन्वेस्टिगेशन हुई। इसी तरह, वर्ष 2012 और वर्ष 2013 में हुआ। इसी बेस पर ये कह रहे हैं कि जो 498ए है, उसको compoundable किया जाए। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या इतना ही होने से हम औरतों को जस्टिस के लिए जो यह मिला हुआ है, इसको खत्म कर देंगे? क्या रेश्यो है? जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है, क्या उसको देखा गया है? आखिर किस आधार पर उसको फॉल्स कहा गया है? हो सकता है कि किसी के कहने पर पुलिस वालों ने ऐसा किया हो। क्या उस पर इंक्वायरी हुई है या उसकी मॉनिटरिंग की गई है? ...**(व्यवधान)**... मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ।

श्री किरन रिजिजुः सभापति महोदय, चूंकि यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इसलिए इसकी सम्वेदनशीलता को समझते हुए इस क़ानून के बारे में आगे जिक्र करना है और महिलाओं के संरक्षण का भी सवाल है। यह जो 498ए है, यह cognizable भी है, non-bailable भी है और non-compoundable भी है। माननीय सदस्या ने यह कहा है कि इसका मिसयूज़ हुआ है। तो पिछले तीन साल का आंकड़ा मैंने ऑलरेडी यहां दिया हुआ है, जिसमें लगभग 10 प्रतिशत केसेज को गलत पाया गया है। इसलिए इस मामले को 243rd Law Commission Report, पार्लियामेंटरी कमेटी ऑन पिटिशंस और सुप्रीम कोर्ट के जज Arnesh Kumar versus State of Bihar के अलावा भी हम लोगों के सामने यह चीज आई है, Malimath Committee का भी इसमें जिक्र किया है कि इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। तो अमेंडमेंट इस तरीके से करेंगे कि पुलिस का जो

एक्शन है वह तुरन्त किसी को सिर्फ कम्पलेंट देने पर ही डॉयरेक्ट्ली अरेस्ट न हो, उसमें एक प्रोसीजर है, वह set in motion करना पड़ेगा, उसके बाद ही अरेस्ट करेंगे। लेकिन जिस मुख्य बात पर मैं तवज्जो देना चाहता हूं कि वह compoundability पर है। इसको यह कहा गया कि चूंकि यह पारिवारिक चीज है, अगर परिवार में आपस में मिलने से उसमें सॉल्यूशन हो जाता है तो उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए एक विन्डो खुली रहनी चाहिए। इसको लेकर मामला लॉ मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, जैसे ही वहां से क्लीयरेंस आएगी तो हम अमेंडमेंट के साथ आने के लिए तैयार हैं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : औरतें चिल्लाती जाती हैं. ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : प्लीज-प्लीज, बैठ जाइए। श्रीमती कहकशां परवीन।

श्रीमती कहकशां परवीन : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, सैक्शन-498ए का दुरुपयोग हो रहा है और इसको शमनीय अपराध की श्रेणी में लाकर सरकार इसको कानून में संशोधन करना चाहती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि बहुत सारी ऐसी औरतें जो प्रताड़ित होती हैं, लेकिन वे अपना केस तक दर्ज नहीं करा पाती हैं, तो सरकार इनको न्याय दिलाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगी?

श्री किरन रिजिजु : सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्या ने कहा, यह तो सबको मानना चाहिए कि इस हाउस में ऑपिनियन में कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए । जैसे कोई कम्पलेंट आई कि महिला के साथ चाहे उसका हस्बेंड हो या हस्बेंड का कोई रिलेटिव हो, किसी भी कारण से उसके खिलाफ ऐसा काम हुआ है जिसमें यह सैक्शन-498ए में जिक्र किया गया, तो यह बहुत ही stringent law है। सवाल यहां उल्टा हो रहा है कि यह ज्यादा ही stringent हो गया इसलिए मिसयूज होता है। लेकिन इसमें मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा जो प्रपोजल है, सैक्शन-320 सी.आर.पी.सी. में, कम्पाउंडेबल जब कहा है, इसी पर आप गौर कीजिए, बाकी महिलाओं के संरक्षण के लिए कोई समझौता नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute, please ...(*Interruptions*)... बैठ जाइए, जवाब सुन लीजिए। It is not a place for ...(*Interruptions*)...

श्री किरन रिजिजु : एक तरफ कानून के दुरुपयोग का यह मसला है, एक तरफ महिलाओं के संरक्षण का मामला है। इसलिए दोनों चीजों को हमें लोगों को समझकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन महिलाओं के संरक्षण का इसमें कोई कंपरोमाइज करने का सवाल ही नहीं है, यह बात मैं क्लिअर करना चाहता हूं।

श्रीमती जया बच्चन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ कह दिया। पिछले हफ्ते ही मैंने एक लड़की हेमलता का यहां जिक्र किया था। मंत्री जी यहां बैठे हुए थे, उस लड़की के बच्चे को उठा लिया गया। She is a twenty-three year old girl. I have personally spoken to the Commissioner of Police and the Minister was present when I made this complaint. Nothing has happened so far. आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? Two-and-a-half year old child has been kept back by the in-laws, and they are not giving the child to the mother, which is illegal. I have spoken about it in the House. I have assured the girl that the entire House is supporting her.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: What action has the Minister taken?

श्री किरन रिजिजु : सभापति महोदय, इस मसले का आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार डॉयरेक्ट केस को दर्ज नहीं करती, कोई भी मसला जो राज्य का होता है लेकिन ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन : सर, यही तो बात है, हम न्याय की बात कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बात तो सुन लीजिए। The hon. Minister is replying. ...(*Interruptions*)... Please listen to the reply.

श्री किरन रिजिजु : इसमें अगर मैं ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. Mr. Minister, please continue.

श्री परवेज़ हाशमी : दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है। ...(**व्यवधान**)...

श्री किरन रिजिजु : महोदय, जो specific मुद्दा जया जी ने उठाया है, मैं उसे follow up जरूर करूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट के काम को पार्लियामेंट में छीनकर नहीं ला सकता। ...(**व्यवधान**)... जो हमारा दायित्व है, हम वह कार्य कर सकते हैं, लेकिन ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज शेखर : सर, यह तो दिल्ली का मामला है ...(**व्यवधान**)...

श्री परवेज़ हाशमी : यह दिल्ली का मामला है ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, this is a sensitive matter. A child is not being.. (*Interruptions*)...

DR. T. N. SEEMA: Mr. Chairman, Sir, an important matter like this cannot... (*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let the answer be given.

श्री किरन रिजिजु : जया जी ने जो specific मुद्दा उठाया है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... One minute. ...(*Interruptions*)...

श्री परवेज़ हाशमी : यह दिल्ली का मामला है और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है ...(**व्यवधान**)...

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या जया बच्चन जी ने जिस मुद्दे की बात की है कि कोई ऐसा मामला था जिस की जानकारी उन्होंने सदन में दी थी। राज्य मंत्री बता रहे हैं कि वे उस समय नहीं थे, मैं उनसे कहूंगा कि वह इस की जानकारी मुझे दे दें अथवा हमारे ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन : मैंने जिस दिन हाउस में यह बात उठायी थी, आप हाउस में present थे। मैंने पूरे हाउस की तरफ से इस महिला को assurance दिया है, इसलिए आप इस हाउस की लाज तो रख लीजिए!

श्री राजनाथ सिंह : क्षमा कीजिएगा, जया जी। यह मेरी जानकारी में नहीं है अन्यथा मैं आज निश्चित रूप से आपको बतलाने की स्थिति में होता कि इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है। ...(**व्यवधान**)... और हमारे राज्य मंत्री आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन जहां तक 498(ए) को compoundable बनाने का सवाल है, सभापति महोदय, सरकार ने 498(ए) को compoundable बनाने का जो प्रोसेस आरंभ किया है, वह लॉ कमीशन की रिपोर्ट की रिकमंडेशंस ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: We are not starting a war of sexes here. ...(*Interruptions*)... Please continue.

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, लॉ कमीशन की रिपोर्ट की रिकमंडेशंस के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के 2 जुलाई, 2014 के जजमेंट के आधार पर सरकार ने यह फैसला किया कि इसे compoundable बनाया जाना चाहिए, तब हम लोगों ने इस का प्रोसेस प्रारंभ किया है। लेकिन मैं सदन को इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि किसी महिला का उत्पीड़न होता है और यदि वह सरकार के संज्ञान में लाया जाता है, तो निश्चित रूप से उस महिला के साथ इंसाफ होगा, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question 185. ...(*Interruptions*)... Dr. K.P. Ramalingam. ...(*Interruptions*)... Let the answer be given. ...(*Interruptions*)...

श्री किरन रिजिजु : सर, before that, आपकी permission से मैं कहना चाहूंगा कि जया जी ने जो सवाल यहां उठाया है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't deviate from the Question Hour. ...(*Interruptions*)...

श्री किरन रिजिजु : उस पर क्या कार्यवाही हो रही है, वह मैं लिखित रूप से जितनी जल्दी हो सकेगा, आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I only want...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. I am not having a discussion on this. That question is over. Jaya ji, please.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am not asking anything. ...(*Interruptions*)... I am just saying that I have assured the girl on behalf of this House.

MR. CHAIRMAN: Fine; he has assured you. ...(*Interruptions*)... Let us take it forward from here. ...(*Interruptions*)... Question 185, please.